



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2016/माघ 28, 1937

No. 424]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2016/MAGHA 28, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

आय-कर

का.आ. 502 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10नजक में, "उत्पादन," शब्द के पश्चात् "प्रदाय," शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।
3. उक्त नियमों के नियम 10नजख के खंड (i) में, "किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा।
4. उक्त नियमों के नियम 10नजग के उप-नियम (2) की सारणी में क्रम संख्यांक 1 के सामने, -
(क) स्तंभ 2 में, "नियम नजख की, यथास्थिति मद (i), (ii) या (iii) में" शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "नियम 10 नजख के, यथास्थिति खंड (i), (ii) या (iii) में" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;
(ख) स्तंभ 3 में, "अवधारित किया गया है" शब्दों के पश्चात्, "या टेरिफ के अवधारण के लिए पद्धति को अनुमोदित किया गया है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों के नियम 10नजघ के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—
"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए पात्र विनिर्दिष्ट घरेलु संव्यवहारों, जो नियम 10 नजख के खंड (iv) में निर्दिष्ट संव्यवहार से भिन्न हैं, के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्ररूप 3गडन्चख 31 मार्च, 2016 को या उससे पूर्व दिया जा सकेगा।"
6. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप संख्यांक 3गडन्चख की मद 2 की सारणी में, क्रम संख्यांक 1 के सामने, दूसरे स्तंभ में, -

- (क) "मद (i), (ii) या (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "खंड (i), (ii) या (iii) में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) खंड ग में, "टेरिफ अवधारित करने वाले" शब्दों के पश्चात् "या टेरिफ के अवधारण के लिए पद्धति को अनुमोदित करने वाले" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[अधिसूचना सं.05/2016[फा. सं. 142/7/2014-टीपीएल]

आर. लक्ष्मी नारायनन, अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण :- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना सं. का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 127 (अ), तारीख 14/01/2016, द्वारा किया गया था ।